



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर
महाविद्यालय नारायणपुर जिला- नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष नं. 07781-252655, 252755,

Email – narayanpurcollege@gmail.com

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए

आचरण / संहिता

सामान्य नियम ,

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इसका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।

3. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का भौतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।

4. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली - गलौज, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

5. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

6. महाविद्यालय एवं छात्रावास की कक्षाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।

7. महाविद्यालय में इधर - उधर थूकना, दीवालो को गंदा करना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

8. अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी राजनीतिक दलो, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।

9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

आदेशानुसार आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

- : चेतावनी : -

महाविद्यालय परिसर में बाहरी छात्रों का प्रवेश वर्जित है। यदि ऐसे छात्र महाविद्यालय में पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।



आदेशानुसार
प्राचार्य
शासकीय स्वामी आत्मानंद
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
Narayanpur Dist. Narayanpur
Chhattisgarh